कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4399(49)(16)/2020/02 दिनांक –24.11.2020

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
सम्भाग स्तरीय शिक्षा संकुल
बीकानेर/जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/पाली/भरतपुर/चूरू
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्राथमिक/माध्यमिक

विषय :– शिक्षा विभागीय(राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2020

शिक्षा विभाग द्वारा अपने मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर विभाग की प्रतिष्ठा बढाई हैं को प्रतिवर्ष माह दिसम्बर मे राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता रहा है, इस क्रम में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह 2020 का आयोजन दिनांक 16.12.2020 को विभागीय मुख्यालय बीकानेर में किया जायेगा।

विभाग में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किये जाने बाबत उनके चयन के प्रस्ताव अनिवार्यतः निदेशालय को उपलब्ध कराने का दायित्व आपका है ।

1. इस योजना में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी ही सम्मिलित होंगे जो अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमों के अन्तर्गत वर्णित पद नाम के है तथा संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, जमादार, सहायक कर्मचारी एवं समकक्ष, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, आशुलिपिक इत्यादि। कुल 36 कार्मिकों (9 मण्डल x 4 = 36) को राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर प्रत्येक मण्डल से प्रस्तावित कार्मिकों में से शीर्ष 04 मेरिट वाले कार्मिकों का चयन किया जाकर तदनुसार सम्मानित किया जायेगा, प्रत्येक मण्डल का कोटा निर्धारित होने के कारण उस मण्डल के 5 वीं वरीयता पर प्रस्तावित कार्मिक के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिक की मेरिट अन्य मण्डल के कार्मिकों से अधिक होने पर भी उसके चयन पर विचार नहीं किया जावेगा। राज्य स्तरीय कमेटी की विशेष अनुशंसा पर निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से 02–02 (कुल 04) कार्मिकों का चयन मेरिट अनुसार किया जायेगा।

2. जिले में संचालित समस्त विद्यालयों, कार्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत सहा. कर्म.संवर्ग/मंत्रालयिक संवर्ग/निजी सहायक संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग में न्यूनतम 15 वर्ष की शिक्षा विभागीय सेवाऐं पूर्ण कर चुके उत्कृष्ट कार्य वाले कार्मिकों के प्रस्ताव स्वयं संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किये जाकर गोपनीय स्तर पर तीन प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) को दिनांक 04.12.2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु परिशिष्ठ–1(क),(ख–I),(ख–II),ग,घ संलग्न हैं।

3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त प्राप्त प्रस्तावों में प्रमाण–पत्र मय आवश्यक अनुशंषा सहित प्रस्ताव तीन प्रतियों में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष गोपनीय रूप से दिनांक 05.12.2020 तक प्रस्तुत करेंगे ।

प्रपत्र की पूर्तियां संबंधित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्मिक के रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन आदि स्रोतों से की जावें । इसके

www.rajteachers.com

साथ ही सभी सूचनायें, प्रशंषा प्रमाण–पत्रों, शैक्षिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा प्रकाशित पुस्तक, लेख साहित्य इत्यादि की पुष्टि के अभिलेख संलग्न किये जावें । वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित वर्ष का संतोषजनक सेवा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावें ।

4. कार्मिक से किसी भी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जावें । अनुशंषा नितान्त निष्पक्ष एवं न्यायोचित होनी चाहिए इसमें पूर्णतया गोपनीयता बरती जावें ।

5. अब तक राज्य स्तर पर पुरस्कृत समस्त कार्यरत कार्मिकों एवं भविष्य में पुरस्कृत कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में उक्त पुरस्कार का इन्द्राज संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वतः किया जावें । पूर्व वर्षो में पुरस्कृत कार्मिक जो कि वर्तमान में सेवा मे है, की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें । पुरस्कृत कार्मिकों को अपना राज्य स्तरीय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6.(I) जिले में संचालित विद्यालयों एवं कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का जिला स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है । यह कमेटी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों पर संलग्न सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर **न्यूनतम 10 (दस)** प्रस्ताव अनिवार्य रूप से संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल को गोपनीय रूप से दिनांकः 06.12.2020 तक **वाहक स्तर पर** भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगी ।

1. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक	सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी(जिशिअ0 मुख्यालय)	सदस्य
4. प्रधानाचार्य, राउमावि. (जिशिअ.मा. मुख्यालय द्वारा मनोनित)	सदस्य
5. अति.जिशिअ मुख्यालय (माध्यमिक)	सदस्य सचिव

6.(II) एससीईआरटी,(ईटीसेल सहित) उदयपुर, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, शा0 शिक्षक महाविद्यालय, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल तथा संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अपने कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के न्यूनतम दो प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में सीधे ही संबंधित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को गोपनीय रूप से अनुशंषा सहित दिनांकः 06.12.2020 तक **वाहक स्तर पर** प्रेषित करेंगे। मण्डल स्तर पर अंतिम चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैं :–

1	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल	नोडल अधिकारी
2	मुख्य जि शि अ मण्डल मुख्यालय	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय	सदस्य
4	संस्थापन अधिकारी मुख्य जिशिअ	सदस्य
5	सहायक निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक	सदस्य–सचिव

उपर्युक्त समिति जिला चयन समितियां, विशिष्ठ संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर **न्यूनतम 10 (दस)** प्रस्ताव दो–दो प्रतियों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को गोपनीय रूप से दिनांक 08.12.2020 तक **वाहक स्तर पर** भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगी ।

www.rajteachers.com

उक्त प्रस्ताव हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि इस संबंध में विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जावें ताकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को इस योजना का लाभ मिल सके ।

पूर्व वर्षो में यह देखने में आया है कि मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी एवं समकक्ष सम्मान समारोह हेतु कुछ ईकाइयों द्वारा एक भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में उस मण्डलाधीन कार्यरत उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान से वंचित रह जाते हैं अतः समस्त मण्डल अधिकारियों / जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन उत्कृष्ट कार्मिकों के प्रस्ताव व्यक्तिशः रूचि लेकर तैयार कर सक्षम अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करें। यदि किसी भी स्थिति में आपके मण्डल द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों की संख्या 10(दस) से कम भिजवाई जाती है तो इससे उत्पन्न विपरित परिस्थितियों हेतु आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त पत्र मय संलग्न अधीनस्थ समस्त कार्यालयों / संस्थानों / विद्यालयों में आपके कार्यालय स्तर पर तत्काल प्रसारित किया जाकर प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही निर्धारित पंचाग के अनुसार संपादन हेतु आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है ।

संलग्न

1. प्रपत्र
2. सूक्ष्म चयन अंक योजना

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / साप्र / बी–2 / 4399(49)(16) / 2020 / 02 दिनांक –24.11.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है (मय संलग्न) :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर
3. निदेशक,राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT) उदयपुर
4. संयुक्त निदेशक,प्रौद्यिगिकी विभाग, अजमेर
5. प्राचार्य,राजकीय उच्च.अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर / अजमेर
6. प्राचार्य,राज.शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
7. प्राचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
8. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
9. जिला शिक्षा अधिकारी विधि (माध्यमिक / प्रारम्भिक) जयपुर / जोधपुर
10. वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को प्रकाशनार्थ
11. समस्त ग्रुप अधिकारी / अनुभाग अधिकारी
12. मैनेजर राजकीय गुरूनानक भवन शिक्षण संस्थान, जयपुर
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वैवसाईट पर अपलोड करने हेतु
14. गार्ड पंजिका

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

5. अंक– 10

(राष्ट्रीय–10,राज्य–7,मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया हैं
अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है ?
उल्लेख करें ।

6. अंक– 05

यदि कर्मचारी विकलांग हैं ।
(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है ।)

7. अंक– 10

कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज	राष्ट्रीय स्तर–10
/जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से	राज्य स्तर–07
कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें ।	मण्डलस्तर–05
(सत्यापित प्रतियां संलग्न की जावें)	जिला स्तर–03
	स्थानीय स्तर–02

8. अंक– 05

अन्य महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख उपरोक्त में न आया हो

9. अंक– 06

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंषा

10. अंक– 02

शैक्षिणिक योग्यता
स्नातकोत्तर स्तर– 02
स्नातक स्तर – 01

11. अंक– 03

तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर इत्यादि)
स्नातकोत्तर स्तर– 03
स्नातक स्तर – 02
सार्टिफिकेट/कोर्स –1

कुल अंको का योग –(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) ....
अंकों में शब्दों में अंकित करें । ....

www.rajteachers.com

भाग –'ख– II'

जिला समिति/मण्डल समिति(नॉडल) /मा.शि एवं प्रा.शि.निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जावेगा

(सहायक कर्मचारी व समकक्ष सवर्ग के कर्मचारियों के लिये)

कुल अंक–90

अंक–24

1	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		2	11/2	1	1/2
1	व्यक्तित्व				
2	व्यवहार				
3	शिष्टाचार				
4	धैर्यता				
5	चारित्रिक गुण				
6	शारीरिक क्षमता				
7	मानसिक जागरूकता				
8	प्रासनिक क्षमता				
9	दूरदर्शिता				
10	कार्य निष्पादन क्षमता				
11	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
12	मानवीय दृष्टिकोण				

अंक–10

2	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		5	3	2	1
1	स्थानीय कार्यालय/संस्था में प्रतिष्टा				
2	समाज सेवा				

3

सेवा की पूर्ण अवधि	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 से अधिक
	1 अंक	2 अंक	3 अंक
कुल सेवा	15वर्ष तक लगातार माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में सेवा पर 2 अंक अतिरिक्त देय होगा।		

4 अंक– 10

(राष्ट्रीय–10,राज्य–7,मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने लेख/रचनायें/पुस्तक लिखी हैं ?

यदि हॉ तो उनका पूर्ण विवरण देंवे ।

www.rajteachers.com

8. अंक– 02

यदि कर्मचारी विकलांग हैं ।
(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है ।)

9. अंक– 10

कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज	राष्ट्रीय स्तर–10
/जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से	राज्य स्तर–07
कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें ।	मण्डलस्तर–05
(सत्यापित प्रतियां संलग्न की जावें)	जिला स्तर–03
	स्थानीय स्तर–02

10. अंक– 05

अन्य महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख उपर न आया हो

11. अंक– 03

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंषा

12. अंक– 02

शैक्षिणिक योग्यता
स्नातकोत्तर स्तर– 02
स्नातक स्तर – 01

13. अंक– 03

तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर इत्यादि)
स्नातकोत्तर स्तर– 03
स्नातक स्तर – 02
सार्टिफिकेट/कोर्स –1

कुल अंको का योग –(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) ....
अंकों में शब्दों में अंकित करें । ....

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पद ....
पिता/पति का नाम .... जन्मतिथि ....
कार्यालय/विद्यालय ....
के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जॉच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है ।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है ।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं हैं ।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कल सेवा में से कम कर दिया गया है ।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वॉछित प्रलेख संलग्न कर दिये गये है तथा प्रलेखों की जॉच कर ली गई है ।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

www.rajteachers.com

अंक–06

3	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		3	2	11/2	1
1	स्थानीय कार्यालय/संस्था में प्रतिष्टा				
2	समाज सेवा				

अंक–10
(प्रतिवर्ष 2 अंक)

4. गत 05 वर्षो के गोपनीय वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की टिप्पणी

वित्तीय वर्ष		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		2	11/2	1	1/2
1	2015–16				
2	2016–17				
3	2017–18				
4	2018–19				
5	2019–20				

नोट–वा.का.मू. प्रतिवेदन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित वर्ष का संतोषजनक प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे । इस हेतु अंक योजना की गणना प्रतिवर्ष 1/2 अंक के अधार पर देय होगी ।

5. अंक–7

सेवा की पूर्ण अवधि	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 से अधिक
	1 अंक	5 अंक	7 अंक
कुल सेवा			

6. अंक– 10

(राष्ट्रीय–10,राज्य–7,मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने लेख/रचनायें/पुस्तक लिखी हैं ?
यदि हॉ तो उनका पूर्ण विवरण देंवें ।

7. अंक– 10

(राष्ट्रीय–10,राज्य–7,मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय स्तर–02)

क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया हैं
अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है ?
उल्लेख करें ।

www.rajteachers.com

भाग –'ख–1'

जिला समिति/मण्डल समिति(नॉडल) /मा.शि एवं प्रा.शि.निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जावेगा

(मंत्रालयिक सवर्ग के कर्मचारियों के लिये)

कुल अंक–90

अंक–10

1	कार्य का मूल्यांकन	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		1	3/4	1/2	1/4
1	नोटिंग				
2	पत्र लेखन की क्षमता				
3	पंजिकाओं का संधारण				
4	पीयूसी प्रस्तुत करने की स्थिति				
5	लंबित प्रकरणों की स्थिति				
6	दैनंदिनी संधारण				
7	स्मरण डायरी की स्थिति				
8	कार्य निष्पादन की गति				
9	टंकण कार्य की कुशलता/कम्प्यूटर				
10	कार्यालयी कार्य क्षमता				

अंक–12

2	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		1	3/4	1/2	1/4
1	व्यक्तित्व				
2	व्यवहार				
3	शिष्टाचार				
4	धैर्यता				
5	चारित्रिक गुण				
6	शारीरिक क्षमता				
7	मानसिक जागरूकता				
8	प्रासनिक क्षमता				
9	दूरदर्शिता				
10	कार्य निष्पादन क्षमता				
11	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
12	मानवीय दृष्टिकोण				

www.rajteachers.com

गठित कमेटियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं अंकों की जॉच रिकार्ड के आधार पर की जाकर प्रस्तावित अंकों की समीक्षा करने में सक्षम होंगी । तत्पश्चात राज्य स्तर पर मेरिट बनाकर कार्मिकों का चयन अन्तिम रूप से अनुमोदन एवं निर्णय हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को 11.12.2020 को प्रस्तुत करेंगी ।

8. पंचांग :–

मंत्रालयिक कर्मचारी सम्मान से संबंधित सभी कार्यों के लिये समयबद्ध निष्पादन के लिये निम्नानुसार पंचाग निर्धारित किया जाता है :–

क्र	करणीय कार्यवाही का विवरण	निर्धारित तिथि
1	जिले में संचालित समस्त विद्यालयों, कार्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत सहा.कर्म.संवर्ग / मंत्रालयिक संवर्ग / निजी सहायक संवर्ग / वाहन चालक संवर्ग में न्यूनतम 15 वर्ष की शिक्षा विभागीय सेवाऐं पूर्ण कर चुके उत्कृष्ट कार्य वाले कार्मिकों के प्रस्ताव स्वयं संस्था प्रधान / नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किये जाकर गोपनीय स्तर पर तीन प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक / प्रारंभिक) को तक भिजवाया जाना।	04.12.2020
2	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक / प्रारंभिक स्तर पर) प्रकरण अधिनस्थों से प्राप्त कर जिला स्तरीय चयन समिति को अनुशंषा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराना एवं विशिष्ठ संस्थानों द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराना ।	06.12.2020
3	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा (नोडल अधिकारी) स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना ।	10.12.2020
4	निदेशालय माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्तरीय गठित कमेटी को उपलब्ध कराना ।	10.12.2020
5	राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा चयन कर प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करना ।	11.12.2020
6	चयनित कार्मिकों की सूची जारी करना ।	11.12.2020
7	राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सम्मान समरोह का आयोजन, बीकानेर	16.12.2020

प्रस्ताव में पूर्ण गुणवता व विशेष रूचि के साथ कार्य संपादित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जावें । सम्मान हेतु अनुशंषित किये जाने वाले प्रकरणों में पूर्णतः गोपनीयता बरती जावें । इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा सम्भाग स्तरीय शिक्षा संकुल को एवं संयुक्त निदेशक (नोडल अधिकारी) द्वारा निदेशालय को भिजवाये जाने वाले प्रस्ताव शीलबंद पैकेट में संबंधित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवावें । यह ध्यान रहे कि प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में चयनित कर्मचारियों के नाम अंकित नहीं करें बल्कि उनके प्रस्तावों की मात्र संख्या ही अंकित की जावें ।

पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित कार्मिक एवं जिन कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है / प्रस्तावित है उनके प्रस्ताव नहीं भिजवावें ।

www.rajteachers.com

6.(III) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग / ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन कर अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 04.12.2020 तक दो–दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे ।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1	उप निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	संस्थापन अधिकारी	सदस्य
3	सहायक निदेशक (माध्यमिक)	सदस्य
4	लेखाधिकारी (बजट)	सदस्य
5	सहायक निदेशक, (प्रशासन)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर **न्यूनतम 10 (दस)** दो प्रतियों में निदेशक,माध्यमिक शिक्षा की अनुशंषा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 10.12.2020 को प्रस्तुत करेंगी ।

6.(iv) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग / ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन कर अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 04.12.2020 तक प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे ।

निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1	उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	अध्यक्ष
2	संस्थापन अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
3	सहायक निदेशक (शैक्षिक), प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
4	लेखाधिकारी (बजट) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
5	सहायक निदेशक, (प्रशासन) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर **न्यूनतम 10 (दस) प्रस्ताव** दो प्रतियों में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा की अनुशंषा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 10.12.2020 तक प्रस्तुत करेंगी ।

7– राज्य स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैं :–

1	अतिरिक्त निदेशक (RAS) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक (RAS) प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
3	वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
6	सहायक निदेशक, (प्रशासन)	सदस्य सचिव

सूक्ष्म अंक योजना कुल 90 अंकों की होगी, अधिकतम 10 अंक राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा दिये जायेंगे । इस प्रकार राज्य स्तरीय मेरिट कुल 100 अंकों की होगी । राज्य स्तरीय चयन समिति अधिनस्थ कार्यालयों से प्राप्त एवं निदेशालय (माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा) स्तर पर

www.rajteachers.com

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पद ....

पिता/पति का नाम .... जन्मतिथि ....

कार्यालय/विद्यालय ....

के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जॉच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है ।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है ।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं हैं ।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कल सेवा में से कम कर दिया गया है ।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वॉछित प्रलेख संलग्न कर दिये गये है तथा प्रलेखों की जॉच कर ली गई है ।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग –'ग'
मण्डल(नॉडल) स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग –'घ'
राज्य स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

www.rajteachers.com